[2022] 18 एसएससीआर 1144

झारखण्ड राज्य

बनाम

शिव शंकर शर्मा और अन्य।

(2022 की सिविल अपील संख्या 8233-34)

नवम्बर 07/2022

[न्यायमूर्तिगण उदय उमेश ललित, मुख्य न्यायमूर्ति, भारत, एस. आर. भट और सुधांशु धूलिया]

भारत का संविधान: अनुच्छेद 32 - जनहित याचिका -जनहित याचिका का दुरुपयोग - जनहित याचिका की विचारणीयता - दो रिट याचिकाएं सार्वजनिक रूप से प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा शेल कंपनियों के माध्यम से निजी उत्तरदाताओं के नाम पर हस्तांतरित धन की जांच करने और निजी की आय के स्रोत की जांच करने के लिए महानिदेशालय, जांच आयकर को निर्देश देने की मांग की गई है। प्रतिवादी और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वित्तीय अपराध की जांच - दूसरे में, निर्देश देने - मुख्यमंत्री पर अपने नाम पर खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई - उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को बनाए रखने और इसके गुणों पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया - अभिनिर्धारित: आरोप जो मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों में धन निवेश किए जाने के लिए किए गए थे केवल आरोप हैं - जांच के लिए आरोप को साबित किए बिना जांच एजेंसियों से प्रार्थना करना, अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है -

इसके अलावा, याचिकाकर्ता का जनहित याचिका दायर करने का आधिकार संदिग्ध है और उसने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है - प्रतिवादी द्वारा वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है जबकि परमादेश की रिट जारी

करने के लिए मौलिक आवश्यकता यह है कि याचिकाकर्ता ने उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष इस तरह की राहत की मांग की होगी और केवल तभी जब इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अदालत से किसी रिट के लिए संपर्क किया जा सकता है, किसी परमादेश - याचिकाकर्ता की साख का खुलासा न करना और इसी तरह की राहत के लिए किए गए पिछले प्रयास, जैसा कि जनहित याचिका नियम, 2010 के तहत अनिवार्य किया गया है, बदनाम करता है। ये याचिकाएं - उच्च न्यायालय का कोई निष्कर्ष नहीं है कि इस मामले में किसी भी तरह की देरी ने याचिका को निरर्थक या निरर्थक बना दिया होगा, जो नियम 4, 4 क, 4 ख, 5 की छूट को उचित ठहरा सकता है, लेकिन इसके विपरीत - उच्च न्यायालय ने माना कि नियम 4, 4 क, 4 ख और 5 अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन नियम के मद्देनजर प्रकृति में निर्देशिका हैं 6-क - इस प्रकार, भले ही नियमों का पालन नहीं किया गया हो कि वास्तव में जनहित याचिका पर विचार करने के लिए न्यायालय के रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि जनहित याचिका में आरोपों की प्रकृति गंभीर प्रकृति की थी - उत्तरदाताओं द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट, सामान्यीकृत हैं और साक्ष्य कहलाने के लिए प्रमाणित नहीं हैं - सामान्यीकृत कथनों पर जो इस स्तर पर केवल आरोपों के अलावा कुछ नहीं हैं, न्यायालय उच्च संवैधानिक प्राधिकारियों के विरुद्ध दुर्भावना - उच्च न्यायालय के लिए जनहित याचिका पर विचार करना उचित नहीं था - इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया - झारखंड उच्च न्यायालय (जनहित याचिका) नियम, 2010 - आरआर 4, 4-क , 4-ख, 5।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित: 1.1 पहली रिट याचिका सं 2012/2012 (जनहित याचिका) 2021 की 4290 मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों में निवेश किए जा रहे धन के आरोप फिर से केवल आरोप हैं। याचिकाकर्ता ने वास्तव में अदालत से जांच की मांग की है। यह जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए इस संबंध में परमादेश रिट के लिए प्रार्थना करता है। यह फिर से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि याचिका में व्यापक आरोपों की कमी है, अदालत के समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है जिसे किसी भी तरह से प्रथम दृष्टया साक्ष्य कहा जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का जनहित याचिका दायर करने का आधिकार संदिग्ध है और स्पष्ट तथ्य यह है कि उसने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है, यह ऐसा मामला है जिसे पहली ही दहलीज पर खारिज किया जा सकता था। [कंडिका 8] [1157-च-छ;1158-क-ख]

1.2 2022 की दूसरी रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 727 वह है जिसमें मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने का निर्देश मांगा गया है, जो खान विभाग के मंत्री भी हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने नाम पर खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। मुख्यमंत्री अर्थात् श्री हेमंत सोरेन के पक्ष में खनन पट्टे और उनकी निरर्हता से संबंधित यह मामला भारत निर्वाचन आयोग के पास विचारार्थ लंबित है। दूसरी रिट याचिका जो इस न्यायालय की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग है। [कंडिका 7] [1156-ड-छ]

1.3 वर्तमान मामले में प्रतिवादी (यानी, जनहित याचिका में याचिकाकर्ता) द्वारा किसी भी तरह से वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने का ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। परमादेश की रिट जारी करने के लिए मूलभूत आवश्यकता यह है कि याचिकाकर्ता ने उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष इस तरह की राहत की मांग की होगी और केवल तभी जब इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो न्यायालय से किसी रिट के लिए संपर्क किया जा सकता है। इस सिद्धांत को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह न्यायालय किसी जनहित याचिका से निपट रहा है। वर्तमान जनहित याचिकाओं के संबंध में, यह किसी स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी ने वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने में कोई कदम नहीं उठाया है या एफआईआर दर्ज करने में कोई प्रयास नहीं किया है। [कंडिका 10] [1160-ख-ड]

1.4 उपर्युक्त नियम, 2010 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश बलवंत सिंह चौफल का मामला। नियम बनाए जाने थे ताकि यह व्यक्तिगत न्यायाधीशों पर न छोड़ दिया जाए कि वे अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करें, बल्कि किसी जनहित याचिका पर विचार करने में किसी रूपता को सुनिश्चित करें, और वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करें और जनहित याचिका को हतोत्साहित करें जो परोक्ष उद्देश्य से दायर की जाती हैं। इसलिए, इन नियमों के महत्व को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता है। [कंडिका 11] [1163-ड-च]

1.5 जनहित याचिका में जो महत्वपूर्ण महत्व है वह है सच्चा जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता का। यह अत्यंत प्रासंगिक विचार है और न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। यह किसी जनहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा समर्थित प्रतीत होने वाले उच्च सार्वजनिक कारण के बावजूद किया जाना चाहिए। [कंडिका 12] [1164-क-ख]

1.6 झारखंड राज्य द्वारा दायर उत्तर में रिट याचिका सं 2011 में उच्च न्यायालय (जनहित याचिका) 2021 की 4290, आपत्ति थी 2013 की डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 4218 होने के नाते पहले की रिट याचिका के दमन के संबंध में भी लिया गया। इसलिए, यह

स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने साफ हाथों से इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया क्योंकि उसने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2013 की डब्ल्यू.. (जनहित याचिका) संख्या 4218 के रद होने का खुलासा नहीं किया था, जिसे इस न्यायालय ने 2014 की एसएलपी संख्या 4886 में 28.02.2014 के आदेश द्वारा बरकरार रखा था। यह नियम, 2010 के नियम, 4 ख का भी स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को अतीत में किए गए सभी समान प्रयासों का खुलासा करने की आवश्यकता थी। [कंडिका 13] [1165-ड-छ]

1.7 इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 4, 4क, 4ख और 5 में दी गई उपरोक्त प्रक्रिया को नियम 6 के तहत छूट दी जा सकती है, निम्नलिखित कारणों से न्यायालय द्वारा जहां मामला न्यायालय द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है और मामले में किसी भी देरी की अनुमति देना व्यावहारिक नहीं है। वर्तमान में, झारखंड उच्च न्यायालय का कोई निष्कर्ष या आदेश नहीं है कि इस मामले में किसी भी तरह की देरी याचिका को निरर्थक या निरर्थक बना देती, जो नियमों की छूट को उचित ठहरा सकती थी। इसके विपरीत, झारखंड उच्च न्यायालय ने माना है कि नियम 4, 4क , 4ख और 5 अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन नियम 6-क के मद्देनजर स्वभावत निर्देशिका हैं और इसलिए भले ही नियमों का पालन नहीं किया गया है, लेकिन वास्तव में जनहित याचिका पर विचार करने के लिए न्यायालय के रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि जनहित याचिका में आरोपों की प्रकृति गंभीर प्रकृति की थी। यह तर्क इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों में इस न्यायालय के निर्णय के कारणों में है बलवंत सिंह चौफल का मामला, साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन, मुख्य रूप से नियम 4-ख। [कंडिका 14][1165-छ; 1166-क-ख]

1.8 जनहित याचिका शुरू करने वाले याचिकाकर्ता का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मुकदमेबाजी के इस महत्वपूर्ण रूप का दुरुपयोग प्रेरित व्यक्तियों द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों या किसी अन्य कारण से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक कारण के लिए किया जाना चाहिए। [कंडिका 16] [1169-च-छ]

1.9 इस मामले में याचिकाकर्ता डॉ गौतम शर्मा का बेटा है जो वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों में से था और इसलिए मुख्यमंत्री ने याचिकाकर्ता के हाथों पुरानी दुश्मनी और व्यक्तिगत प्रतिशोध का आरोप लगाया है। इस तरह की आपत्ति के बावजूद जनहित याचिका पर सुनवाई हो सकती थी, अगर याचिकाकर्ता साफ हाथों से अदालत के सामने आता। उन्होंने जानबूझकर और जानबूझकर

न्यायालय से यह छिपाया है कि पूर्व रिट याचिका (रिट याचिका (पीआईएल) 4218/2013) को दायर किया गया था वही आधार बनाकर और वही राहत की मांग के साथ जिसे झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 22.11.2013 को ख़ारिज कर दिया गया था जुर्माने के साथ जिस आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट एसएलपी संख्या 4886 में दिनांक 28.02.2014 के आदेश के तहत। [कंडिका 17] [1169-छ-ज;1170-क-ख]

1.10 याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं, अधिक सामान्यीकृत हैं और सबूत कहलाने योग्य किसी भी चीज से प्रमाणित नहीं हैं। भ्रष्टाचार और मुखौटा कंपनियों से पैसे निकालने के आरोप किसी भी तरह से आरोपों को साबित किए बिना किसी आधारहीन आरोप के अलावा और कुछ नहीं हैं और इसलिए अदालत से केवल केंद्रीय जांच ब्यूरो या प्रवर्तन निदेशालय को मामले की जांच करने का निर्देश देने के लिए कहा जा रहा है। यह और कुछ नहीं बल्कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायालय परोक्ष उद्देश्यों के लिए इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते। [अनुच्छेद 18, 19] [1170-ग-ड]

1.11 याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादियों में से, जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ने प्रमुख के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्ट तरीकों से किसी बड़ी संपत्ति अर्जित की है और इस धन का निवेश लगभग 32 कंपनियों में किया है। जिसका विवरण दिया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ता इन कंपनियों का ब्योरा देता है कि निर्देशक कौन हैं, आदि। प्रतिवादी या उसके रिश्तेदार कंपनियों के निर्देशक नहीं हैं। लेकिन फिर याचिकाकर्ता कहता है कि उसके पास जानकारी है कि वह इस पैसे को बेईमानी से निकाल रहे हैं और कहीं और निवेश कर रहा है किसी रवि केजरीवाल के माध्यम से शेल कंपनियां में, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री का करीब सहयोगी हैं। प्रतिवादी द्वारा मुखौटा कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को किसी भी तरह के सबूतों से साबित नहीं किया गया है। उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है जो इन कंपनियों के प्रचालन के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन बिना किसी भी ठोस सबूत के आधार पर यह कहा गया है कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री से जुड़े/करीब सहयोगी या रिश्तेदार हैं। इसके अतिरिक्त, झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जनहित याचिकाओं में किसी भी कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय से प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश देने के आदेश की मांग की गई है कि इन तथाकथित "शेल कंपनियों" की जांच रिट कार्यवाही में कंपनियों को किसी

पक्ष बनाए बिना की जाए। यह भी कि स्वीकृत तथ्य है कि वर्तमान दो जनहित याचिकाओं के संबंध में, पुलिस या शिकायतों को अनुसंधान करने वाले किसी भी प्राधिकारी के पास कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है और ये याचिकाएं वैधानिक उपायों का लाभ उठाए बिना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं। [कंडिका 20] [1172-क -ड]

1.12 ऐसा नहीं है कि उच्च पदों पर आसीन लोगों की जांच नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उच्च न्यायालय के लिए इन सामान्यीकृत निवेदनों पर मामले का संज्ञान लेना, जो न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि भी नहीं करते हैं, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता की साख का खुलासा न करना और नियम, 2010 के तहत अनिवार्य रूप से समान राहत के लिए किए गए पिछले प्रयास इन याचिकाओं को और बदनाम करते हैं। जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष साफ हाथ से नहीं आया है। इस तरह की याचिका को पहेली ही दहलीज पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता के पास कोई वास्तविक कारण है। मामले को आगे बढ़ाने के लिए, उसके पास अपने उपचार उपलब्ध हैं। कंपनी अधिनियम या कानून के अन्य प्रावधानों के तहत जहां वह कंपनियों के निर्देशकों या प्रवर्तकों के कुकर्मों के बारे में संबंधित अधिकारियों को अवगत करा सकता है। लेकिन सामान्यीकृत कथनों पर, जो इस स्तर पर केवल आरोपों के अलावा और कुछ नहीं हैं, न्यायालय उच्च संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ कदाचार के कथित कृत्यों की जांच का मंच नहीं बन सकता है। उच्च न्यायालय के लिए किसी जनहित याचिका पर विचार करना उचित नहीं है जो केवल आरोपों और आधे - अधूरे सत्य पर आधारित है, वह भी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों जो अपनी साख को पूरी तरह से संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है और अशुद्ध हाथों के साथ अदालत में आया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है। [कंडिका 21] [1172-च-ज; 1173-क]

कुंगानीमा लेपचा बनाम स्टेट ऑफ़ सिक्किम (2010) 4 एसएससीसी 513;[2010] एसएससीआर 787; स्टेट ऑफ़ उत्तराखंड बनाम चौफल सिंह और अन्य। (2010) 3 एसएससीसी 402: [2010] 1 एसएससीआर 678; एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य। (1987) 1 एसएससीसी 395: [1987] 1 एसएससीआर 819; बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत) बनाम भारत संघ एवं अन्य। (2002) 2 एसएससीसी 333: [2001] 5 अनुपूरक. एसएससीआर 511; नीतू बनाम पंजाब राज्य (2007) 10 एसएससीसी 614: [2007] 1 एसएससीआर 223; अशोक कुमार पाण्डेय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 2004

एसएससी 280: [2003] 5 अनुपूरक. एसएससीआर 716; होलीकाउ पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रेमचंद मिश्रा (2007) 14 एसएससीसी 28; जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी (1992) 4 एसएससीसी 305 - संदर्भित किया गया है।

केस लॉ संदर्भ

[2010] 3 एसएससीआर 787 संदर्भित कंडिका 9

[2010] 1 एसएससीआर 678 संदर्भित कंडिका 11

[1987] 1 एसएससीआर 819 संदर्भित कंडिका 11

[2001] 5 पूरा एसएससीआर 511 संदर्भित कंडिका 11

[2007] 1 एसएससीआर 223 संदर्भित कंडिका 11

[2003] 5 अनुपूरक. एसएससीआर 716 संदर्भित कंडिका 15

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2022 की सिविल अपील संख्या 8233 और 8234।

2021 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 4290 और 2022 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 727 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 03.06.2022 के निर्णय और आदेश से)

के साथ

2022 की एसएलपी (सी) संख्या 11364 और11365।

मुकुल रोहतगी, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, कपिल सिब्बल, राजीव रंजन, अरुणाभ चौधरी, सीनियर एडवोकेट, धवल मोहन, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री आद्या श्री दत्ता, तुषार अरोड़ा, सुश्री पल्लवी लंगर, सुश्री प्रज्ञा बघेल, जयंत मोहन, अनिरुद्ध महदेवन सेठी, डेचेन डब्ल्यू लाचुंगपा, सुश्री अनुषा, सुश्री अपराजिता जामवाल, एस.के. अब्बास, कर्मा दोरजी, अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट।

एस.वी राजू, के.एम. नटराज, एएसजीस, अभिनव रामकृष्ण, अभिषेक राय, वत्सल जोशी, विनायक शर्मा, सुश्री इंदिरा भाकर, अनिरुद्ध शर्मा, अनुज श्रीनिवास उडुपा, नकुल चेंगप्पा के.के., मुकेश कुमार मरोरिया, उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति

अनुमति दी गई।

1. उपरोक्त दो याचिकाएं झारखंड राज्य द्वारा रेजिडेंट कमिश्नर के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं, जिसमें उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 03.06.2022 के आदेशों को चुनौती दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर की गई याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं, और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ाने का फैसला किया। याचिकाकर्ता ने यहां इन दो जनहित याचिकाओं की विचारणीयता को चुनौती दी है। पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद, इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.08.2022 के माध्यम से अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे और निर्देश दिया था कि इस बीच उच्च न्यायालय मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा।

2. इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या जनहित याचिकाओं के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा अपने पहले के कई निर्णयों में निर्धारित कानून की स्थापित स्थिति के मद्देनजर सुनवाई योग्य हैं। यदि जनहित याचिकाएं जनहित याचिकाओं से संबंधित नियमों के उपबंधों का भी अनुपालन करती हैं, जो कि झारखंड उच्च न्यायालय (जनहित याचिका) नियम, 2010 (संक्षेप में नियम, 2010) है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो क्या जनहित याचिकाओं के रूप में दायर की गई याचिकाओं को उसी सीमा पर खारिज किया जा सकता है यदि वे जनहित याचिका से संबंधित उपर्युक्त नियमों के उपबंधों के अनुपालन में नहीं थीं।

3. झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक ही व्यक्ति अर्थात श्री शिव शंकर शर्मा द्वारा दो जनहित याचिकाएं दायर की गईं। 2021 की पहली रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 4290 में निम्नलिखित राहत मांगी गई थी: -

"क. उत्तरदाताओं पर निर्देश के लिए विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 3[1] ने सोरेन परिवार के प्रतिवादी संख्या 8 से 13 के नाम पर अंतरित धन की जांच करने के लिए याचिका दायर की है और आयकर विभाग को रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है कि किस प्रकार 28 कंपनियों का गलत तरीके से प्राप्त धन के लिए पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग किया गया है।

ख. प्रतिवादी नंबर 3 को प्रतिवादी नंबर 8 से 13 की आय के स्रोतों की जांच करने के निर्देश के लिए, क्योंकि वे हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के करीब दोस्त होने के नाते, होटलों की श्रृंखला के रूप में कई कंपनियों में पैसा निवेश किया है, क्योंकि यह दिखाया गया है कि मालिक रंजन साहू और होटल और रेस्तरां की हॉटलिप्स श्रृंखला है जो मुख्यमंत्री के निवास के पास किसी छोटे से क्षेत्र में स्थित थी और बाद में कांके रोड, रतन लाल कॉम्प्लेक्स, रातू रोड, लालपुर, हिनू और कामरे में स्थित छह होटल श्रृंखलाओं में बदल गया।

ग. प्रतिवादी संख्या 4[2] पर निर्देश के लिए हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वित्तीय अपराध की भी जांच करने के लिए जो आय रवि केजरीवाल को दी गई है क्योंकि वह बचपन से उनसे जुड़ा हुआ है और होटलों और रेस्तरां की हॉटलिप्स श्रृंखला के तथाकथित मालिक रंजन साहू के साथ भी घनिष्ठ संबंध रखता है और यह भी जांच कर सकता है कि श्री हेमंत सोरेन ने किस समय पर अवैध काम किया है और करोड़ों रुपये कमाए हैं और इन व्यक्तियों के नाम पर निवेश किया है।

घ. प्रतिवादी नंबर 5 मनी ट्रेल के आपराध की जांच करने के निर्देश के लिए प्रतिवादी नंबर 8 से 13 के पास जो कार्रवाई करने का मामला है की और उन्होंने भारी संपत्ति जमा कर ली है और हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव के समय पैसा वापस कर दिया है।

ड. किसी भी अन्य राहत या राहत के लिए जैसा कि यह माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों के आलोक में उचित और सही समझ सकता है।

2022 की दूसरी रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 727 में निम्नलिखित राहत की मांगी गई थी:

"क. प्रतिवादी नंबर 9 पर अभियोजन के लिए मंजूरी देने के निर्देश के लिए, "मुख्यमंत्री सह, खान विभाग मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए, कार्यालय के दुरुपयोग के कार्य के लिए और खनन पट्टा अपने नाम पर ले लिया गया, हालांकि, वह किसी विभागीय मंत्री/मुख्यमंत्री

खनन का कार्य (संविधान का अनुच्छेद 191 (9)) नहीं कर सकते हैं, और आपराधिक कृत्य भी किया है, इसलिए उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (क) और 13 (झ) (घ) और आईपीसी की धारा 169 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। झारखंड की विधानसभा की उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए भी, और साथ ही उन्होंने पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन कक्ट, 1950 की धारा 9 का उल्लंघन किया है और अंत में, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

ख. उत्तरदाताओं पर निर्देश के लिए, विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 1, मुख्य सचिव, झारखंड खान विभाग की प्रासंगिक फाइल की रक्षा के लिए, जिसमें अंगधा मौजा, थाना नंबर 26, खाता नंबर 187, प्लॉट नंबर 482, करिया 0.88 एकड का खनन पट्टा उस आशय पत्र (एलओआई) के लिए 16.06.21 को जारी किया गया था, खनन योजना की स्वीकृति 10.07.21 को दी गई थी, खनन योजना को 09.09.21 को मंजूरी दी गई थी और अंत में 09.09.21 को प्रतिवादी नंबर 7 ने दिया है आवेदन, जिसे इसके 90 वां बैठक दिनांक 14-18 सितंबर, 2021 में अनुमोदित किया गया था, इतने कम समय के भीतर, हालांकि, एसइआईएए ने कई महीनों के बाद उच्च न्यायालय भवन को पर्यावरण मंजूरी दी है, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय को प्रतिवादी संख्या 7 और 8 द्वारा किए गए अपराध की जांच करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

ग. प्रतिवादी सीबीआई को विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 7 जैसे व्यक्ति द्वारा किए गए अवैध खनन के इतिहास की जांच करने के निर्देश के लिए और उसके प्रभाव के कारण, श्री सोरेन द्वारा बेची गई सार्वजनिक संपत्तियों के लिए अवैध खनन जो केवल कानून के प्रावधानों के खिलाफ किया जाता है।

घ. किसी भी अन्य राहत या राहत के लिए जैसा कि यह माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों के आलोक में उचित और सही समझ सकता है।

इन दोनों रिट याचिकाओं में प्रतिवादी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ झारखंड राज्य के साथ-साथ मौजूदा मुख्यमंत्री, श्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे। इन दो प्रतिवादियों द्वारा रिट याचिका की विचारणीयता के रूप में प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी। आपत्तियां यह भी उठाई गईं कि रिट याचिकाएं याचिकाकर्ता के विवरण और साख का खुलासा नहीं करती हैं और न

ही यह नियमों, यानी नियम, 2010 के नियम 4, 4क, 4ख, 5 द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करती हैं।

4. चूंकि, न्यायालय ने फिर भी मामले को आगे बढ़ाया, याचिकाकर्ता ने पहले इस न्यायालय के समक्ष इन दो जनहित याचिकाओं के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को चुनौती देते हुए किसी याचिका दायर की थी। मामला इस न्यायालय की किसी खंडपीठ के समक्ष आया और 24.05.2022 को एसएलपी(सी) संख्या 9728-9730 ऑफ 2022 में निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

"झारखंड उच्च न्यायालय की डिवीज़न खंडपीठ के समक्ष तीन रिट याचिकाओं का बैच लंबित है:

(i). (2019 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 4632 में; याचिकाकर्ता, अरुण कुमार दुबे, अन्य बातों के साथ-साथ, खूंटी जिला परिषद को मनरेगा निधियों के वितरण से उत्पन्न कथित अपराधों से संबंधित 15 एफआईआर की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश देने की मांग करता है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 423, 429, 465 और 1208 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 11.12(2) और 13(1)(ड) के तहत अपराध शामिल हैं।

(ii) 2021 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 4290 में; याचिकाकर्ता, शिव शंकर शर्मा ने कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 8 से 13 के नाम पर सोरेन परिवार द्वारा एसएलपी सीआर 9729 - 9730/2022 के पैसे के कथित हस्तांतरण की जांच के लिए निर्देश देने की मांग की; और

(iii) 2022 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 727 में; याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने नाम से खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए निर्देश देने की मांग की है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत।

5. 22 अप्रैल 2022 को, जब 2021 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 4290 मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष आई, तो न्यायालय ने राज्य के वकील द्वारा दिए गई प्रस्तुतियां को दर्ज किया "इसी तरह की रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा उसी वकील द्वारा दायर जुर्माना के साथ खारिज कर दिया गया था और मामला

सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया था" जहां विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अनुरोध के लिए कुछ प्रक्रियात्मक निर्देश जारी करने के बाद, डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि 2021 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 4290 में कार्यवाही रखी जाए 13 मई 2022 को 2013 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 4218 के रिकॉर्ड के साथ।

6. 13 मई, 2022 को, उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताते हुए झारखंड राज्य की प्रस्तुतियों को नोट किया। यह निम्नलिखित उद्धरण में निपटा गया था:

“पीठ ने कहा, "इस मौके पर झारखंड राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि उन्हें मामले की विचारणीयता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठानी होगी।“

हम प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करेंगे और फिर मेरिट पर भी, यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई की अगली तारीख पर”

7. उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को 17 मई 2022 को आगे बढाया। 17 मई 2022 को, उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से प्रस्तुत किसी सीलबंद लिफाफे को देखने के बाद, याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण को नोट किया कि 2019 का डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 4362 को उस याचिका के साथ रखा जा सकता है जिस पर उच्च न्यायालय सुनवाई की अगली तारीख पर विचार कर रहा था और तदनुसार कार्यवाही 19 मई 2022 तक स्थगित कर दी गई। 19 मई 2022 को उच्च न्यायालय ने 2022 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 727, 2019 की 4632 और 2021 की 4290 में अलग-अलग आदेश पारित किए हैं। उच्च न्यायालय ने कार्यवाही 24 मई 2022 को स्थगित कर दी।

8. झारखंड राज्य द्वारा 2021 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 4290 में दिनांक 13 मई 2022 और 17 मई 2022 के आदेशों को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं।

9. हमने झारखंड राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल, छठे प्रतिवादी (श्री हेमंत सोरेन) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को सुना है।

10. वर्तमान आदेश के पहले भाग में वर्णित घटनाओं का अनुक्रम इंगित करता है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13 मई 2022 द्वारा विशेष रूप से नोट किया था कि वह 2021 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 4290 की विचारणीयता पर प्राथमिक आपत्ति पर विचार करेगा और उसके बाद सुनवाई की अगली तारीख पर, यदि आवश्यक हो, तो योग्यता से निपटेगा।

11. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने झारखंड उच्च न्यायालय (जनहित याचिका) नियम, 2010 के प्रावधानों, विशेष रूप से नियम 4, 4-क, 4-ख और 5 के प्रावधानों का वर्णन किया है।

12. चूंकि उच्च न्यायालय ने 13 मई, 2022 के अपने आदेश में देखा है कि वह याचिका की विचारणीयता से निपटेगा, इसलिए हमारा विचार है कि न्याय के हित में यह उचित होगा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ जनहित याचिका के गुण-दोष पर आगे बढ़े बिना ऐसा करे।

13. विचारणीयता के मुद्दे को उच्च न्यायालय द्वारा लिस्टिंग की अगली तारीख पर निपटाया जाना चाहिए जब कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही की विचारणीयता पर आपत्तियों के परिणाम के आधार पर, उच्च न्यायालय उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

14. विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है।

15. इस न्यायालय के पास विशेष अनुमति याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले विरोधीभाषी तर्कों के गुणों से निपटने का कोई अवसर नहीं है या न ही इस न्यायालय के लिए रिट याचिका में लगाए गए आरोपों पर कोई विचार व्यक्त करना आवश्यक हो गया है क्योंकि यह ऐसा मामला है जो उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाए।

5. इस प्रकार, इस न्यायालय के दिनांक 24.05.2022 के आदेशों के परिणामस्वरूप, झारखंड उच्च न्यायालय को मामले को आगे बढ़ाने से पहले दो जनहित याचिकाओं की विचारणीयता पर अपना निष्कर्ष देना था। याचिकाकर्ता के साथ-साथ उत्तरदाताओं को सुनने के बाद उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जनहित याचिकाओं में अत्यंत गंभीर मामला उठाया

गया है, जहां झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथों बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और भले ही जनहित याचिकाओं को दायर करने में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताएं हों जो याचिका पर विचार करने में न्यायालय के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। जो जनहित में हो । इसके अलावा, नियमों के रूप में, (यानी, नियम 4, 4-क,4-ख और 5 2010 का नियम) जिसका हम शीघ्र ही उल्लेख करेंगे, यह माना गया है कि वे निर्देशिका हैं और प्रकृति में अनिवार्य नहीं हैं। नतीजतन, दिनांक 03.06.2022 के आदेश द्वारा न्यायालय ने माना है कि जनहित याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं और इसके गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाएगा। इस आदेश को वर्तमान में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

6. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम निजी प्रतिवादी नंबर 1 (यानी, शिव शंकर शर्मा) द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाओं के रूप में दायर दो रिट याचिकाओं से चिंतित हैं। पहली रिट याचिका 2021 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 4290 है, जहां आयकर महानिदेशालय, जांच को जांच करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। सोरेन परिवार द्वारा शेल कंपनियों के माध्यम से निजी उत्तरदाताओं के नाम पर हस्तांतरित धन में और निजी उत्तरदाताओं की आय के स्रोत की जांच करने और प्रतिवादी नंबर 6 यानी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वित्तीय अपराध की जांच करने के लिए, याचिकाओं में मांगी गई अन्य राहतों के बीच।

7. 2022 की दूसरी रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 727 वह है जहां मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने का निर्देश मांगा गया है, जो खान विभाग में मंत्री भी हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने नाम पर खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। जहां तक दूसरी रिट याचिका का संबंध है, माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के समक्ष झारखण्ड राज्य द्वारा जवाब दाखिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में मामले के पूरे तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है और उसने जानबूझकर भौतिक तथ्यों को दबाया है। मुख्यमंत्री के पक्ष में खनन पट्टा जो कथित रूप से बताया गया है, वह अंगधा मौजा, थाना नंबर 26, खाता नंबर 187, प्लॉट नंबर 482 में स्थित भूमि पर है और भूमि का कुल क्षेत्रफल केवल 0.88 एकड है। यह श्री हेमंत सोरेन को 17.05.2008 से 17.05.2018 के बीच 10 वर्षों की अवधि के लिए आवंटित किया गया था, 10 साल की लीज अवधि समाप्त होने के बाद, इसके नवीकरण के लिए आवेदन श्री हेमंत सोरेन द्वारा 06.06.2018 को देर से किया गया था और उस समय तक पट्टा समाप्त हो गया था। इसके बाद 2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 1 के माध्यम से, जो

27.03.2021 को जारी किया गया था, खनन पट्टे के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। श्री हेमंत सोरेन के पक्ष में 16.06.2021 को आशय पत्र दिया गया था। फिर भी 04.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 7, यानी श्री हेमंत सोरेन ने जिला खनन अधिकारी, रांची को तत्काल प्रभाव से खनन पट्टा सरेंडर करने के लिए लिखा। झारखंड गौण खनिज रियायत नियम, 2004 की धारा 26 के अनुसार श्री हेमंत सोरेन द्वारा छह माह की रॉयल्टी अग्रिम जमा करने की मांग और खनन पट्टा सरेंडर कर दिया गया और 11.02.2022 को नियमों के तहत स्वीकार कर लिया गया। इसलिए, प्रतिवादी के अनुसार 2022 की दूसरी रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 727 दायर करने के समय, प्रतिवादी नंबर 7 के पक्ष में कोई खनन पट्टा नहीं था क्योंकि यह पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था। झारखंड राज्य ने दिनांक 05.05.2022 के अपने उत्तर में यह भी कहा है कि हालांकि श्री हेमंत सोरेन के पक्ष में पट्टे का नवीनीकरण किया गया था, लेकिन खनन पट्टा क्षेत्र पर कोई खनन गतिविधि या पत्थर का निष्कर्षण नहीं हुआ। इसके अलावा, इस संबंध में यदि कोई विसंगति की गई है और प्रतिवादी नंबर 7 को अपने पक्ष में खनन पट्टा रखने के लिए अपने पद से अयोग्यता का सामना करना पड़ता है, तो इस संबंध में मामला भारत के चुनाव आयोग के समक्ष 2022 के संदर्भ मामले संख्या 3 (छ) में जांच लंबित है, जो अनुच्छेद 192^3 के तहत झारखंड के माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदर्भ पर पंजीकृत है भारत के संविधान के तहत। भारत निर्वाचन आयोग ने 08.04.2022 को मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर कुछ जानकारी मांगी है, जिसे राज्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.04.2022 के माध्यम से विधिवत प्रदान किया गया था। दूसरे शब्दों में, मुख्य मंत्री के पक्ष में खनन पट्टे के संबंध में यह मामला, श्री हेमन्त सोरेन और उनकी निरर्हता भारत निर्वाचन आयोग के पास विचारार्थ लंबित है। दूसरी रिट याचिका हमारे विचार में इस न्यायालय की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग है।

8. प्रथम रिट याचिका सं. (जनहित याचिका) 2021 की 4290 मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों में निवेश किए जा रहे धन के आरोप केवल आरोप हैं। याचिकाकर्ता ने वास्तव में अदालत से जांच की मांग की है। यह इस संबंध में जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय जांच करेगा। यह हमारे विचार में न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि याचिका में निराधार और व्यापक आरोपों की कमी है, अदालत के समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है जिसे किसी भी तरह से प्रथम दृष्टया साक्ष्य कहा जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का जनहित याचिका दायर करने का आधिकार संदिग्ध है और स्पष्ट तथ्य यह है कि उसने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है, यह ऐसा मामला है जिसे पहेली ही दहलीज पर खारिज किया जा सकता था।

9. इस न्यायालय में कुंगा नीमा लेप्चा बनाम सिक्किम[4] राज्य इसी तरह की परिस्थितियों में रिट कोर्ट ने माना कि इस तरह की जांच शुरू करने की मांग करने के लिए रिट कोर्ट उपयुक्त मंच नहीं है। कुंगा नीमा लेप्चा (ऊपर) के तथ्यों का संदर्भ कुंगा हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक होगा। उपरोक्त मामले में, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष सीधे दायर किया गया था जहां याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सिक्किम राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री (प्रतिवादी नंबर 2) ने अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया था और अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। यह भी आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री ने भारत सरकार और सरकार की कीमत पर सिक्किम की जनता के पैसे का बड़ी मात्रा का दुरुपयोग किया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत सीबीआई को मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश देते हुए परमादेश की रिट जारी करने के लिए थी। इस न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि संवैधानिक न्यायालय इस प्रकृति के निवारण की मांग करने का मंच नहीं है। रिट के माध्यम से विकसित किए गए उपचार का क्षेत्राधिकार असाधारण प्रकृति के हैं और उचित समय के मामले के रूप में राहत नहीं दी जा सकती है, जहां याचिकाकर्ता के लिए और वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं। फैसले के कंडिका 14 से 17 में इस प्रकार कहा गया था:

“14. वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने अस्पष्ट तर्क दिया है कि श्री पवन चामलिंग ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। हमें इस दावे में कोई दम नजर नहीं आता क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दो या दो से अधिक वर्गों के व्यक्तियों के बीच अनुचित भेदभाव होने पर "कानून के समक्ष समान संरक्षण" या "कानून के समक्ष समानता" की गारंटी का उल्लंघन किया जाता है। स्पष्ट रूप से, सरकारी खजाने से कथित गबन के कृत्यों को स्वचालित रूप से "कानून के समक्ष समान संरक्षण" की गारंटी के उल्लंघन के बराबर नहीं माना जा सकता है।

15. इसके अलावा, हमें इस तथ्य पर जोर देना चाहिए कि कथित कृत्य आसानी से वैधानिक अपराधों के दायरे में आ सकते हैं जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के साथ-साथ आपराधिक कदाचार के रूप में भी मामला दर्ज किया गया है। ऐसे मामलों में जांच शुरू करने की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से जांच एजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या केंद्रीय सतर्कता आयोग

(सीवीसी) पर है। इस न्यायालय के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र के तहत इस तरह की जांच शुरू करने के निर्देश देना उचित नहीं है।

16. हालांकि यह सच है कि अतीत में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों ने वास्तव में आपराधिक मामलों में जांच से संबंधित उपचार प्रदान किए हैं, हमें वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए। अतीत में, रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग चल रही जांच की प्रगति की निगरानी करने या चल रही जांच को किसी जांच कजेंसी से दूसरी में स्थानांतरित करने के लिए किया गया है। इस तरह के निर्देश तब दिए गए हैं जब मौलिक अधिकारों का विशिष्ट उल्लंघन दिखाया जाता है, जो अन्य कारणों के बीच जांच एजेंसियों की ओर से उदासीनता या पक्षपात का परिणाम हो सकता है। कुछ मामलों में, रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप जांच प्रक्रिया में बाधाओं के कारण आवश्यक है जैसे कि गवाहों को भौतिक धमकी, सबूतों को नष्ट करना या शक्तिशाली हितों से अनुचित दबाव। इन सभी परिस्थितियों में, रिट कोर्ट केवल यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक भूमिका निभा सकता है कि जांच की अखंडता से समझौता नहीं किया गया है। हालांकि, किसी रिट अदालत के लिए जांच शुरू करने का आदेश देना व्यवहार्य नहीं है। यह कार्य स्पष्ट रूप से कार्यपालिका के क्षेत्र में निहित है और यह निर्णय करना स्वयं जांच एजेंसियों पर निर्भर करता है कि उनके समक्ष पेश की गई सामग्री जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है या नहीं।

17. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे प्रावधान हैं जो प्रथम दृष्टया न्यायालयों को चल रही जांचों पर कुछ हद तक नियंत्रण रखने का अधिकार देते हैं। इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है और रिट अदालतों के लिए इसके लिए विशिष्ट मानकों के अभाव में आपराधिक जांच में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

10. इस न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता को सीधे जांच एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए और फिर यह जांच एजेंसियों के लिए है कि वे आगे की कार्रवाई पर निर्णय लें। हालांकि इस न्यायालय द्वारा आशंका जताई गई थी कि यह संभव है कि याचिकाकर्ता के कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के प्रयासों को निहित हितों से बाधित किया जा सकता है, फिर भी याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध वैधानिक उपायों को पहले समाप्त किया जाना चाहिए और उसके बाद ही वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी (यानी, जनहित याचिका में

याचिकाकर्ता) द्वारा किसी भी तरह से वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने का ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। परमादेश की रिट जारी करने के लिए मूलभूत आवश्यकता यह है कि याचिकाकर्ता ने उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष इस तरह की राहत की मांग की होगी और केवल तभी जब इसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है परमादेश के लिए। इस सिद्धांत को केवल इसलिए नजर अंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह न्यायालय जनहित याचिका से निपट रहा है। हमारे समक्ष वर्तमान जनहित याचिकाओं के संबंध में, यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी ने वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने में कोई कदम नहीं उठाया है या एफआईआर दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

11. जनहित याचिका इस न्यायालय द्वारा 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के प्रारंभ में समाज के उस विशाल वर्ग की शिकायतों को सुनने के लिए अपनाया गया अनूठा रूप था जो गरीब, हाशिए पर था और जिसके पास अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। इस प्रकार यह जनहित याचिका ही थी जो साधन बन गई जिसके द्वारा हमारे समाज के इस बड़े बेजुबान वर्ग को आवाज दी गई (देखें: उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल और अन्य[5] एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य[6]) न्यायालय की सख्त प्रक्रियाओं को जनहित याचिका में छोड़ दिया गया था, और इसके शुरुआती चरणों में जनहित याचिका को केवल किसी पत्र, या पोस्टकार्ड पर भी स्वीकार किया जा सकता था! यह इन कारणों से है कि इसे इपिस्ट्रीलरी क्षेत्राधिकार के रूप में भी जाना जाता है। इस न्यायालय में बलवंत सिंह चौफल (ऊपर) में जनहित याचिका के उद्भव और विकास से संबंधित मामले में इसके विकास को तीन चरणों में विभाजित किया है जिसे इसके कंडिका 43 में निम्नानुसार दिया गया है -

"चरण- I: यह इस न्यायालय के मामलों से संबंधित है, जहां मुख्य रूप से हासिए के समूहों और समाज के वर्गों के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश और आदेश पारित किए गए थे, जो अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण इस अदालत या उच्च न्यायालयों का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं।

चरण- II: यह पारिस्थितिकी, पर्यावरण, वनों, समुद्री जीवन, वन्यजीवों, पहाड़ों, नदियों, ऐतिहासिक स्मारकों आदि के संरक्षण, संरक्षण से संबंधित मामलों से संबंधित है।

चरण- III: यह शासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों से संबंधित है।

इस न्यायालय ने तब जनहित याचिका के दुरुपयोग का पता लगाया और देखा कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग अपने स्वार्थ से प्रेरित व्यक्तियों, व्यस्त निकायों और प्रचार चाहने वालों के हाथों किया जा रहा है। इसके बाद के मामलों का उल्लेख किया गया था बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत) बनाम भारत संघ और अन्य[7] और नीतू बनाम पंजाब राज्य[8] जहाँ जनहित याचिकाओं के रूप में दायर किए गए तुच्छ मामलों को हतोत्साहित किया गया था और यहां तक कि ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया गया था। जनहित याचिका दायर करने वाले आवेदक की साख को अत्यधिक महत्व का माना गया था और याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी की प्रकृति की शुद्धता भी जो स्पष्ट होनी थी, अस्पष्ट या अनिश्चित या सामान्यीकृत भी नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि किसी को भी दूसरों के चरित्र को नीचा दिखाने वाले बेबुनियाद और लापरवाह आरोपों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (क) के कंडिका 181 में निम्नलिखित निर्देश दिए गएथे। बलवंत सिंह चौफल (ऊपर): -

"(1) न्यायालयों को वास्तविक और वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करना चाहिए और बाहरी विचारों के लिए दायर जनहित याचिका को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित और नियंत्रित करना चाहिए।

(2) प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा जनहित वाद पर कार्रवाई करने के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करने के बजाय, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करने और परोक्ष उद्देश्यों के साथ दायर जनहित याचिका को हतोत्साहित करने के लिए उचित रूप से नियम बनाए। नतीजतन, हम अनुरोध करते हैं कि उच्च न्यायालय, जिन्होंने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, को तीन महीने के भीतर नियम तैयार करने चाहिए। प्रत्येक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए नियमों की प्रति तुरंत इस न्यायालय के महासचिव को भेजी जाए।

(3) न्यायालयों को जनहित याचिका पर विचार करने से पहले याचिकाकर्ता की साख को प्रथम दृष्टया सत्यापित करना चाहिए।

(4) न्यायालयों को जनहित याचिका पर विचार करने से पहले याचिका की सामग्री की शुद्धता के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए।

(5) न्यायालयों को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि याचिका पर विचार करने से पहले पर्याप्त जनहित शामिल है।

(6) न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि याचिका जिसमें बड़े सार्वजनिक हित, गंभीरता और तत्कालिता शामिल है, को अन्य याचिकाओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(7) न्यायालयों को जनहित याचिका ग्रहण करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका का उद्देश्य वास्तविक सार्वजनिक क्षति या सार्वजनिक क्षति का निवारण करना है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका दायर करने के पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ, निजी मकसद या परोक्ष मकसद नहीं है।

(8) न्यायालयों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बाहरी और गुप्त उद्देश्यों के लिए व्यस्तताओं को अनुकरणीय जुर्माना लगाएर या तुच्छ याचिकाओं और बाहरी विचारों के लिए दायर याचिकाओं को रोकने के लिए इसी तरह के उपन्यास तरीकों को अपनाकर हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

इस न्यायालय द्वारा किए गए उपर्युक्त निर्देशों के परिणामस्वरूप बलवंत सिंह चौफल (ऊपर) प्रत्येक उच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय सहित जनहित याचिकाओं पर कार्रवाई करने के लिए अपने नियम विरचित किए हैं। हमारे प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नियम नियम 4, 4-क, 4-ख, 5 और 6 होंगे। इन नियमों को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"4. याचिकाकर्ता में जनहित याचिका में साफ - साफ उल्लेख करेगा याचिका के कंडिका-1 में मांगी गई राहत और उसके कंडिका-2 में आधार स्पष्ट हैं। कंडिका -3 में, याचिकाकर्ता अपना और पूर्ण विवरण देगा ताकि उसकी रुचि, साख और योग्यता को प्रकट किया जा सके। जनहित याचिका , किसी घोषणा के साथ कि उसकी विषय वस्तु में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है जनहित वाद। इसके अलावा, याचिकाकर्ता उपलब्ध सहायक डेटा, रिपोर्ट आदि के साथ सभी प्रासंगिक तथ्यों को निर्धारित करेगा।

4-क. यदि किसी जनहित याचिका याचिका में ऐसे निकाय का पूरा ब्यौरा और इतिहास अवश्य दिया जाना चाहिए और उस व्यक्ति के उस मुकदमेबाजी में ऐसे निकाय का प्रतिनिधित्व करने के प्राधिकार को स्पष्ट रूप से विनिदष्ट करना चाहिए ताकि उसमें निर्णय ऐसे निकाय के सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी हो सके।

4 -ख. हर जनहित याचिका हम कालानुक्रमिक रूप से उनके परिणाम के साथ ऐसे सभी अन्य और पहले के प्रयासों का विस्तार से उल्लेख करेंगे, जो याचिकाकर्ता के ज्ञान में हैं, और जो याचिकाकर्ता या अन्य लोगों द्वारा जनहित याचिका द्वारा मांगी गई राहत प्राप्त करने के लिए किए गएहैं।

5. बाहरी विचार, बेंच ने किसी जनहित याचिका किसी भी मामले पर विचार करने से पहले याचिकाकर्ता की प्रथम दृष्टया साख को सत्यापित करेगा जनहित याचिका। इसके बाद, महाधिवक्ता या किसी अन्य प्राधिकारी को नोटिस जारी किया जा सकता है ताकि मामले की सुनवाई करने वाली पीठ को प्रत्यक्षतः याचिका की सामग्री या जानकारी की शुद्धता के बारे में संतुष्टि केवल वास्तविक और सदाशयी को प्रोत्साहित करना के मकसद से जो जनहित याचिका हो।

6. पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए, जनहित याचिका उपयुक्त कार्यालय टिपण्णी शीर्षक “आदेश के लिए” उपयुक्त डिवीज़न खंडपीठ के समक्ष रखा जायेगा।

6-क. उपरोक्त प्रक्रिया को संबंधित बेंच द्वारा उन कारणों के लिए शिथिल किया जा सकता है, जिनके लिए न्यायालय द्वारा इस तरह के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने में होने वाले विलंब की अनुमति देना व्यावहारिक नहीं है।

उपर्युक्त नियम, 2010 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में बनाए गए थे बलवंत सिंह चौफल (ऊपर)। नियम बनाए जाने थे ताकि यह व्यक्तिगत न्यायाधीशों पर न छोड़ दिया जाए कि वे अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करें, बल्कि किसी जनहित याचिका पर विचार करने में किसी रूपता सुनिश्चित करें, और वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करें और जनहित याचिका को हतोत्साहित करें जो परोक्ष उद्देश्य से दायर की जाती हैं। निर्देश में, यह निम्नानुसार कहा गया था:

"(2) प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा जनहित याचिका से निपटने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करने के बजाय, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करने और परोक्ष उद्देश्यों के साथ दायर जनहित याचिका को हतोत्साहित करने के लिए नियमों को ठीक से तैयार करे। नतीजतन, हम अनुरोध करते हैं कि उच्च न्यायालय, जिन्होंने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, को तीन महीने के भीतर नियम तैयार करने चाहिए। प्रत्येक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को यह सुनिश्चित

करने का निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए नियमों की प्रति तुरंत इस न्यायालय के महासचिव को भेजी जाए।

इसलिए, इन नियमों के महत्व को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता है।

12. जनहित याचिका में जो महत्वपूर्ण महत्व का है वह है सच्चा जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता का। यह किसी अत्यंत प्रासंगिक विचार है और न्यायालय द्वारा बनाम ही दहलीज पर इसकी जांच की जानी चाहिए और यह किसी जनहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रतीत होने वाले उच्च सार्वजनिक कारण के बावजूद किया जाना चाहिए।

13. आइए अब हम जनहित याचिका की प्रकृति की जांच करें जो हमारे सामने है, अर्थात, 2021 की डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 4290। याचिकाकर्ता जिसने यह जनहित याचिका दायर की थी और साथ ही अन्य जनहित याचिका (डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 727/2022), और उनमें राहत पहले ही ऊपर संदर्भित की जा चुकी है। यह स्वीकृत मामला है कि वर्ष 2013 में इसी तरह की याचिका दायर की गई थी, जो डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 4218 का है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2013 (दीवान इंद्रनील सिन्हा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) के मामले में दिनांक -11-2013 के अपने निर्णय में यह निर्णय दिया था कि झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 22.11.2013 को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया और उसके बाद इस आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की गई, जिसे दिनांक 28.02.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। हमारे विचार के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि यद्यपि उक्त याचिका किसी अन्य व्यक्ति, अर्थात् श्री दीवान इंद्रनील द्वारा दायर की गई थी। लेकिन यह इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ता के संज्ञान में था, क्योंकि पहले की याचिका में याचिकाकर्ता के वकील, यानी 2013 की डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 4218 में, और वर्तमान याचिका में वकील एक ही हैं। इसलिए, यह उचित रूप से माना जा सकता है कि 2013 की डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 4218 की बर्खास्तगी याचिकाकर्ता के ज्ञान में होगी। फिर भी याचिकाकर्ता ने 2021 की डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 4290 में इससे पहले रिट याचिका का तथ्य यह है कि इसे उच्च न्यायालय द्वारा 22.11.2013 को जुर्माना के साथ खारिज कर दिया गया था। तथ्य यह है कि यह याचिकाकर्ता के ज्ञान में था, याचिका (डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 4290/2021) के रूप में स्पष्ट है, 20.04.2022 को पूरा हलफनामा दायर किया गया था जहां याचिकाकर्ता (श्री शिव शंकर शर्मा) ने उल्लेख किया है कि किसी दीवान इंद्रनील सिन्हा (यानी, 2013 की डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका)

संख्या 4218) में याचिकाकर्ता ने झारखंड के मुख्यमंत्री के कथित कुकर्मों के बारे में संवैधानिक अधिकारियों से संपर्क किया था। कंडिका 3 और 4 में निम्नलिखित कहा गया था:

"3. याचिकाकर्ता का कहना है कि, उनसे पहले स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा ने कंपनियों के सभी विवरणों और दस्तावेजों के साथ अवैध कमाई के समर्थन में अभ्यावेदन भेजा था। भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय गृह मंत्री माननीय राज्यपाल, झारखंड, निर्देशक सी.बी.आई. निर्देशक, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, महानिर्देशक, (जांच, आयकर) विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा द्वारा भेजे गए विस्तृत अभ्यावेदन को दर्शाने वाली रसीदों की फोटोकॉपी। 16.11.14 और 21.01.14 को इस आवेदन के अनुलग्नक -4 श्रृंखला के रूप में संलग्न और चिह्नित किया गया है।

4. याचिकाकर्ता का कहना है कि, स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा द्वारा पहले किए गए प्रयास, जिसमें, उनके द्वारा भेजा गया प्रतिनिधित्व केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्राप्त किया गया है, और अपने स्तर पर पूछताछ की है और उन्हें सूचित किया है पत्र संख्या 376 दिनांक 05.11.14, उसमें कहा गया है

"3. आप, यदि चाहें तो, सक्षम न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं, या उपयुक्त मामले में दिशा-निर्देश के लिए"

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि, मामले में आगे बढ़ने के लिए उनके समक्ष प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध थी।

पत्र संख्या 376 दिनांक 376 की फोटोकॉपी जो सीबीआई की है दिनांक 5.11.14 का है , अनुलग्नक -5 के रूप में संलगन है।

झारखंड राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं 2006 में दायर उत्तर में (जनहित याचिका) 4290/2021, 2013 की डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 4218 होने के नाते पहले की रिट याचिका को दबाने के संबंध में भी आपत्ति ली गई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने साफ हाथों से इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया क्योंकि उसने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2013 की डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 4218 के रद होने का खुलासा नहीं किया था दिनांक 22.11.2013 के आदेश का जिसे इस न्यायालय ने 2014 की एसएलपी संख्या 4886 में दिनांक 28.02.2014 के आदेश द्वारा बरकरार रखा

था। यह नियम, 2010 के नियम, 4 ख का भी स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें याचिकाकर्ता को अतीत में किए गए सभी समान प्रयासों का खुलासा करने की आवश्यकता थी।

14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 4, 4क, 4ख और 5 में दी गई उपरोक्त प्रक्रिया को नियम 6 के तहत शिथिल किया जा सकता है, क्योंकि न्यायालय द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जहां मामला न्यायालय द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है और मामले में किसी भी देरी की अनुमति देना व्यावहारिक नहीं है। वर्तमान में, झारखंड उच्च न्यायालय का कोई निष्कर्ष या आदेश नहीं है कि इस मामले में किसी भी तरह की देरी याचिका को निरर्थक या निरर्थक बना देती, जो नियमों की छूट को उचित ठहरा सकती थी। इसके विपरीत, झारखंड उच्च न्यायालय ने माना है कि नियम 4, 4क, 4ख और 5 अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन नियम 6-क के मद्देनजर प्रकृति में निर्देशिका हैं और इसलिए भले ही नियमों का पालन नहीं किया गया है, लेकिन वास्तव में जनहित याचिका पर विचार करने के लिए न्यायालय के रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि जनहित याचिका में आरोपों की प्रकृति गंभीर प्रकृति की थी। यह तर्क, हमारे विचार में,बलवंत सिंह चौफल (ऊपर), के मामले में दिए गए निर्देश, साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, मुख्य रूप से नियम 4-ख का।

15. इस स्तर पर, आइए अब देखें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने क्या कहा था वर्ष 2013 में डब्ल्यू.पी. (जनहित याचिका) संख्या 4218 को खारिज करते वर्ष 2013 में 50,000/- रुपये की जुर्माना वाली उस जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह कहा था: -

"17. बार-बार, यह माना गया है कि जनहित याचिका हथियार है जिसका उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और न्यायपालिका को बेहद सावधान रहना होगा कि 'जनहित' के खूबसूरत पर्दे के पीछे किसी बदसूरत निजी द्वेष, निहित स्वार्थ और/या प्रचार की मांग छिपी नहीं है। यद्यपि बड़ी संख्या में मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका के मानदण्ड दर्शाए गए हैं, फिर भी वास्तविक आशय और आपत्तियों पर ध्यान दिए बिना, लोक हित याचिकाओं को बड़ी संख्या में दायर किया जाता है।

18. याचिकाकर्ता ने प्रासंगिक समय पर सम्बंधित अधिकारी से संपर्क नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 10 द्वारा झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद ही इस जनहित याचिका को दायर करने का विकल्प चुना है। हम रिट याचिकाकर्ता

द्वारा दायर इस जनहित याचिका में कोई सदाशयी खोजें और रिट याचिका जुर्माना के साथ खारिज होने के लिए उत्तरदायी है।

19. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका में कोई सदाशयता नहीं है। रिट याचिका 50,000/- (पचास हजार) रुपये के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। यह राशि, निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा आज से 6 (छह) सप्ताह की अवधि के भीतर झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, "न्याय सदन", डोरंडा, रांची के समक्ष जमा की जाएगी। रजिस्ट्री को को एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की कि प्रति सदस्य सचिव, झारखंड राज्य के कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेजे।"

इसी तरह की जनहित याचिका को खारिज करना का तथ्य था की जिसका खुलासा याचिकाकर्ता द्वारा भी नहीं किया गया था, जिसे वह नियम, 2010 के नियम 4-ख के मद्देनजर ऐसा करने के लिए बाध्य होगा। यह न्यायालय अशोक कुमार पांडेय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य[9]। जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की साख पर यह कहना था, निम्नानुसार कहा गया है: -

"4. जब यह दिखाने के लिए सामग्री है कि जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है व्यक्तिगत विवादों को बढ़ावा देने के लिए किसी छलावरण के अलावा और कुछ नहीं है, तो उक्त याचिका को खारिज कर दिया जाना है। इससे पहले कि हम वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे से जूझें, हम जनहित के पहलू पर विचार करना आवश्यक समझते हैं। जनहित याचिका, जो अब विधि प्रशासन में महत्वपूर्ण क्षेत्र में आ गई है, प्रचार हित याचिका या निजी हित याचिका या राजनीतिक हित वाद या नवीनतम प्रवृत्ति धन आय मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। यदि ठीक से विनियमित नहीं किया जाता है और दुरुपयोग को रोका जाता है तो यह प्रतिशोध को छोड़ने और प्रतिशोध को बर्बाद करने के लिए बेईमान हाथों में किसी उपकरण भी बन जाता है। मुकदमेबाजी में वास्तविक और वास्तविक सार्वजनिक हित शामिल होना चाहिए, न कि केवल शूरवीर गलती का किसी साहसिक कार्य या जांच के लिए किसी की नाक में प्रहार करना। इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों को आगे बढ़ाने या अपनी व्यक्तिगत शिकायत और शत्रुता को संतुष्ट करने के लिए भी लागू नहीं किया जा सकता है। न्याय न्यायालयों को असाधारण क्षेत्राधिकार का सहारा लेकर बेईमान वादियों द्वारा प्रदूषित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जनहित मुकदमों की कार्यवाही में सदाशयी कार्य करने वाला और पर्याप्त हित रखने वाला व्यक्ति ही

लोकहित में रहेगा और वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और वैधानिक प्रावधानों के वास्तविक उल्लंघन को समाप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ या राजनीतिक उद्देश्य या किसी परोक्ष विचार के लिए नहीं। इन पहलुओं को इस न्यायालय द्वारा जनता ओफ मामले (ऊपर) और काजी लेंडुप दोरजी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (1994 अनुपूरक (2) एससीसी 116) में उजागर किया गया था कि रिट याचिकाकर्ता जो जनहित में राहत के लिए अदालत में आता है, उसे न केवल किसी अन्य रिट याचिकाकर्ता की तरह साफ हाथों से आना चाहिए, बल्कि साफ दिल, साफ दिमाग और स्वच्छ उद्देश्य के साथ भी आना चाहिए। देखें रामजस फाउंडेशन बनाम भारत संघ (एआईआर 1993 एसससी 852) और के.आर. श्रीनिवास बनाम आर.एम. प्रेमचंद (1994 (6) एससीसी 620)।

12. जनहित याचिका एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए और न्यायपालिका को यह देखने के लिए बेहद सावधान रहना होगा कि जनहित के सुंदर पर्दे के पीछे किसी बदसूरत निजी द्वेष, निहित स्वार्थ और/या प्रचार की मांग छिपी नहीं है। इसे नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कानून के शस्त्रागार में किसी प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। जनहित याचिका के आकर्षक ब्रांड नाम का उपयोग शरारत के संदिग्ध उत्पादों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य वास्तविक सार्वजनिक गलत या सार्वजनिक क्षति का निवारण होना चाहिए न कि प्रचार उन्मुख या व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित होना चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, न्यायालय को यह देखने के लिए सावधान रहना चाहिए कि व्यक्तियों का किसी निकाय या सदस्य न्यायालय में आने वाली जनता सदाशयी कार्य कर रही है न कि व्यक्तिगत लाभ या निजी उद्देश्य या राजनीतिक पे्ररणा या अन्य परोक्ष प्रतिफल के लिए। न्यायालय को अपनी प्रक्रिया का परोक्ष विचारों के लिए दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। निहित स्वार्थ वाले कुछ व्यक्ति या तो आदत के बल पर या अनुचित उद्देश्यों से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के शगल में लिप्त होते हैं। अक्सर वे होते हैं कुख्याति या सस्ती लोकप्रियता जीतने की इच्छा से प्रेरित। ऐसे व्यस्त निकायों की याचिकाएं दहलीज पर अस्वीकृति द्वारा और अनुकरणीय लागतों के साथ उपयुक्त मामलों में फेंकने के योग्य हैं।

14. न्यायालय को (क) आवेदक की साख के बारे में संतुष्ट होना होगा; (ख) उसके द्वारा दी गई सूचना की प्रथम दृष्टया यथार्थता अथवा प्रकृति क्या है; (ग) सूचना अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं है। जानकारी में गंभीरता और गंभीरता शामिल होनी चाहिए। न्यायालय को

दो परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाना है; (i) किसी को भी निराधार और लापरवाह आरोपों में लिप्त होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरों के चरित्र को कलंकित करना: और (ii) सार्वजनिक शरारत से बचना और परोक्ष मकसद, न्यायोचित कार्यकारी कार्यों के लिए शरारती याचिकाओं से बचना। ऐसे मामले में, हालांकि, न्यायालय उदार होने का जोखिम नहीं उठा सकता है। यह देखने के लिए अत्यंत सावधान रहना होगा कि लोक शिकायत के निवारण की आड़ में, यह संविधान द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण न करे। न्यायालय को धोखेबाजों और व्यस्त निकायों या सार्वजनिक उत्साही पवित्र पुरुषों के रूप में प्रतिरूपण करने वाले हस्तक्षेपकारी हस्तक्षेपकर्ताओं से निपटने के दौरान बेरहमी से कार्य करना पड़ता है। वे न्याय के योद्धा के रूप में मुखौटा लगाते हैं। वे प्रो बोनो पब्लिको के नाम पर कार्य करने का दिखावा करते हैं, हालांकि उनकी रक्षा करने के लिए जनता या यहां तक कि अपने स्वयं के हित में भी नहीं है।

16. जैसा कि उल्लेख किया गया है, ऐसे याचिकाओं को हटाने का समय आ गया है, जिन्हें हालांकि जनहित याचिकाओं के रूप में शीर्षक दिया गया है, संक्षेप में कुछ और हैं। यह जानकर दुख होता है कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में तथाकथित जनहित याचिकाएं भरी पड़ी हैं जहां मामूली प्रतिशत को भी वैध रूप से जनहित याचिकाएं कहा जा सकता है। यद्यपि इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में मामलों में जनहित याचिकाओं के मापदंडों को इंगित किया गया है, फिर भी वास्तविक इरादों और उद्देश्यों से बेपरवाह, न्यायालय ऐसी याचिकाओं पर विचार कर रहे हैं और मूल्यवान न्यायिक समय बर्बाद कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अन्यथा वास्तविक मामलों के निपटान के लिए उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि डा दुर्योधन साहू बनाम जितेन्द्र कुमार मिश्र और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्णय लिया है। (एआईआर 1999 एसएससी 114), कि सेवा मामलों में जनहित याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए - सेवा मामलों से संबंधित जनहित याचिकाएं न्यायालयों में बेरोकटोक जारी रहती हैं और अजीब तरह से उन पर विचार किया जाता है। उच्च न्यायालय कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उक्त निर्णय के आधार पर उन्हें बाहर कर दिया जाए। दूसरा रोचक पहलू यह है कि जनहित याचिकाओं में आधिकारिक दस्तावेजों को संलग्न किया जा रहा है, यहां तक कि यह इंगित किए बिना कि याचिकाकर्ता को ये दस्तावेज कैसे मिले। किसी मामले में, यह देखा गया कि इसके कब्जे के रूप में किसी दिलचस्प जवाब दिया गया था। यह कहा गया था कि पैकेट सड़क पर पड़ा था और जब याचिकाकर्ता ने जिज्ञासा से इसे खोला, तो उसे आधिकारिक दस्तावेजों की प्रतियां मिलीं। जब भी कब्जे की व्याख्या करने के

लिए ऐसी तुच्छ दलीलें ली जाती हैं, तो अदालत को न केवल याचिकाकर्ताओं को खारिज करने के लिए बल्कि अनुकरणीय जुर्माना लगाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यदि न्यायालयों के लिए वांछनीय होगा कि वे तुच्छ याचिकाओं को छान लें और उन्हें पूर्वोक्त जुर्माना के साथ खारिज कर दें ताकि संदेश सही दिशा में जाए कि परोक्ष उद्देश्य के साथ दायर याचिकाओं को न्यायालयों की मंजूरी नहीं है।

16. जनहित याचिका शुरू करने वाले याचिकाकर्ता का अधिकार इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मुकदमेबाजी के इस महत्वपूर्ण रूप का दुरुपयोग प्रेरित व्यक्तियों द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों या किसी अन्य कारण से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक कारण के लिए किया जाना चाहिए।

17. इस मामले में याचिकाकर्ता डॉ गौतम शर्मा का बेटा है जो किसी आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक था[10] वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता के खिलाफ और इसलिए मुख्यमंत्री ने याचिकाकर्ता के हाथों पुरानी दुश्मनी और व्यक्तिगत प्रतिशोध का आरोप लगाया है। हमारे विचार से, इस तरह की आपत्ति के बावजूद जनहित याचिका पर सुनवाई की जा सकती थी, अगर याचिकाकर्ता साफ हाथों से अदालत के सामने आया होता। उन्होंने जानबूझकर न्यायालय से छिपाया है कि पूर्व रिट याचिका संख्या 4218/2013 दायर कि गई थी इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इसी तरह के आधार पर दायर किया गया था, जिसे झारखंड उच्च न्यायालय ने 22.11.2013 को जुर्माना के साथ खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एसएलपी संख्या 4886 में दिनांक 28.02.2014 के आदेश के तहत बरकरार रखा था।

18. इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं, सामान्यीकृत हैं और सबूत कहलाने के योग्य कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार और मुखौटा कंपनियों से पैसे निकालने के आरोप किसी भी तरह से आरोपों को साबित किए बिना किसी आधारहीन आरोप के अलावा और कुछ नहीं हैं और इसलिए केवल अदालत से केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई को निर्देश देने के लिए कहा जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच करेगा। यह और कुछ नहीं बल्कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

19. न्यायालय अपनी प्रक्रिया का परोक्ष उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 1995 में देखा गया था। अशोक कुमार पांडेय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य[11] में बलवंत सिंह चौफल (ऊपर) इस न्यायालय ने किसी जनहित

याचिका के तीन चरणों पर चर्चा की थी जिस पर ऊपर चर्चा की गई है। फिर इस न्यायालय में बलवंत सिंह चौफल (ऊपर) में कहा गया है कि कैसे इस महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार, अर्थात् जनहित याचिका का कंडिका 143 में निम्नानुसार अवलोकन करके दुरुपयोग किया गया है:

“143. दुर्भाग्य से, हाल ही में, यह देखा गया है कि इस तरह के महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार जिसे अदालतों द्वारा बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाया गया है, और पोषित किया गया है, का परोक्ष उद्देश्यों के साथ कुछ याचिकाएं दायर करके स्पष्ट रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। हम समझते हैं कि अब समय आ गया है जब वास्तविक और वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जबकि तुच्छ जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारी सुविचारित राय में, हमें इस देश के लोगों के व्यापक हित में इस महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र की रक्षा और संरक्षण करना है, लेकिन हमें अदालतों द्वारा मौद्रिक और गैर-मौद्रिक निर्देशों के आधार पर इसके दुरुपयोग को रोकने और ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। यह न्यायालय तब के मामले को संदर्भित करता है होलीकाउ पिक्चर्स (पी.) लिमिटेड बनाम प्रेम चंद मिश्रा[12] जिसने 1996 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी[13], कंडिका 10 में निम्नानुसार कहा गया है:

"12. यह ध्यान देने योग्य है कि अदालतों के समक्ष शुरू की गई ऐसी तुच्छ कार्यवाही के कारण, असंख्य दिन बर्बाद हो जाते हैं, जो वास्तविक वादियों के मामलों के निपटारे के लिए समय व्यतीत कर सकते थे। यद्यपि हम जनहित याचिका की प्रशंसनीय अवधारणा को बढ़ावा देने और विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और गरीबों, अज्ञानियों, उत्पीड़ितों और जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति की अपनी लंबी बांह बढ़ाते हैं, जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है और जिनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है और अनसुना कर दिया जाता है; फिर भी हम अपनी राय व्यक्त करने से बच नहीं सकते हैं कि जबकि सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति और आपराधिक मामलों से जुड़े सिविल मामलों से संबंधित वैध शिकायतों के साथ वास्तविक वादी जिनमें व्यक्तियों को अकथनीय पीड़ा के तहत फांसी का सामना करना पड़ता है और व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और लंबे समय तक कैद में रखा जाता है, सेवा मामलों में अनुचित देरी से पीड़ित व्यक्ति - सरकारी या निजी, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे मामलों के निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनमें भारी मात्रा में सार्वजनिक राजस्व या कर राशियों का अनधिकृत संग्रह बंद है, हिरासत के आदेशों से अपनी रिहाई की उम्मीद कर रहे हैं, आदि सभी अदालतों में जाने और अपनी शिकायतों का निवारण करने की शौकीन उम्मीद के साथ

वर्षों से लंबी टेढ़ी-मेढ़ी कतार में खड़े हैं, व्यस्त निकाय, हस्तक्षेप करने वाले, पथभ्रष्ट या आधिकारिक हस्तक्षेपकर्ता, जिनका व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ के अलावा कोई सार्वजनिक हित नहीं है, या तो स्वयं के या दूसरों के प्रॉक्सी के रूप में या किसी अन्य बाहरी प्रेरणा के लिए या प्रचार की चकाचौंध के लिए, जनहित याचिका का मुखौटा पहनकर अपने चेहरे को दबाते हुए कतार को तोड़ते हैं और कष्टप्रद और तुच्छ याचिकाएं दायर करके अदालतों में जाते हैं और इस प्रकार अदालतों के मूल्यवान समय को आपराधिक रूप से बर्बाद करते हैं और इसके परिणामस्वरूप न्यायालयों के दरवाजे के बाहर खड़ी कतार कभी नहीं हिलती, जो विकट स्थिति वास्तविक वादियों के मन में निराशा पैदा करती है और परिणामस्वरूप वे हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रशासन में विश्वास खो देते हैं।

20. अब देखते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति क्या है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादियों में से किसी, जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्ट तरीकों से बड़ी संपत्ति अर्जित की है और इस पैसे को लगभग 32 कंपनियों में निवेश किया है, जिनका विवरण दिया गया है। वही याचिकाकर्ता तब इन कंपनियों का विवरण देता है कि निर्देशक कौन हैं, आदि। प्रतिवादी या उसके रिश्तेदार कंपनियों के निर्देशक नहीं हैं। लेकिन फिर याचिकाकर्ता कहता है कि उसके पास जानकारी है कि वह इस पैसे को चुरा रहा है और इसे किसी रवि केजरीवाल के माध्यम से इन शेल कंपनियों में निवेश कर रहा है जो कथित रूप से सहयोगी है मुख्यमंत्री का। प्रतिवादी द्वारा मुखौटा कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को किसी भी तरह के सबूतों से पूरा नहीं किया गया है। इन कंपनियों के प्रचालन के लिए कथित रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना, यह कहा गया है कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री से जुड़े/करीब सहयोगी या संबंधित हैं।

इसके अतिरिक्त, झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जनहित याचिकाओं में किसी भी कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए हाईकोर्ट से आदेश मांगा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय को इन तथाकथित 'शेल कंपनियों' की जांच करने का निर्देश दिया जाए, यहां तक कि कंपनियों को रिट कार्यवाही में पक्षकार भी नहीं बनाया जाए. यह भी किसी स्वीकृत तथ्य है कि के संबंध में वर्तमान में दो जनहित याचिकाएं, पुलिस या शिकायतों को अनुसंधान करने वाले किसी भी प्राधिकरण के पास कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है

और ये याचिकाएं वैधानिक उपायों का लाभ उठाए बिना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं।

21. हम किसी पल के लिए यह नहीं कह रहे हैं कि उच्च पदों पर आसीन लोगों की जांच नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। इन सामान्यीकृत प्रस्तुतियों पर मामले का, जो न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि भी नहीं करता है, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। याचिकाकर्ता की साख का खुलासा न करना और नियम, 2010 के तहत अनिवार्य रूप से समान राहत के लिए किए गए पिछले प्रयास इन याचिकाओं को और बदनाम करते हैं। जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष साफ हाथ नहीं गया। हमारे विचार में, इस तरह की याचिका को पहले ही दहलीज पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता के पास मामले को आगे बढ़ाने का कोई वास्तविक कारण है, तो उसके पास कंपनी अधिनियम या कानून के अन्य प्रावधानों के तहत अपने उपचार उपलब्ध हैं, जहां वह संबंधित अधिकारियों को कंपनियों के निर्देशकों या प्रमोटरों के गलत कामों से अवगत करा सकता है। लेकिन सामान्यीकृत कथनों पर, जो इस स्तर पर केवल आरोपों के अलावा और कुछ नहीं हैं, न्यायालय उच्च संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ कदाचार के कथित कृत्यों की जांच करने के लिए किसी मंच नहीं बन सकता है। उच्च न्यायालय के लिए किसी जनहित याचिका पर विचार करना उचित नहीं था, जो केवल आरोपों और आधे-अधूरे सत्य पर आधारित है, वह भी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों जो अपनी साख को पूरी तरह से संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है और बेदाग हाथों से अदालत में आया है।

22. नतीजतन, हम वर्तमान अपीलों की अनुमति देते हैं और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2022 में पारित 03.06.2022 के आदेश को रद्द करते हैं। (जनहित याचिका) 2021 की 4290 और रिट याचिका संख्या 2021 (जनहित याचिका) 2022 का 727।

अपील की अनुमति है।

<u>यह अनुवाद मदन मोहन प्रिय, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>